

न्याय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

क्रमांक पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
69/21	188 RTA	कडमानोहर	इंवा
वादी		वाद शीर्षक	प्रतिवादी
संयन्नाथ		बनाम	घनश्याम

2021/1149

वकील: श्री अमृत लाल लोधा

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक कार्यवाही एवं आदेश विविध संदर्भ

25⁰⁸/₂₁

अभिभाषक प्राथी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी गणों को जयें सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 04-10-21 को पेश हो।

(Signature)

20¹⁰/₂₁

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 शिर्षक... कडमानोहर पर पत्रावली पेश हुई। प्रशासन उपस्थित/अनुपस्थित। कार्यवाही नहीं हो सकी। पूर्ववत पत्रावली न्यायालय में दिनांक 20/11/21 को पेश हो।

15⁷/₂₂

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राथी उपस्थित। प्रतिवादी गणों के वाद तामील समस्त प्रार्थना बकजुद सुननी के अनुपस्थित। इसके विरुद्ध एक तरफा आर्जि वही की जाती है वरन्त साक्ष्यवादी पत्रावली दिनांक 7/3/22 को पेश हो।

7³/₂₂

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत रिश्ति में दिनांक 29/3/22 को पेश हो।

(Signature)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)



कार्यवाही एवं आदेश

विविध संत

5.24

पत्रावली प्रेषित हुई वकील कारी क स्वयं कारी
 उपर नही थी वकील कारी क स्वयं कारी को
 वीर का आवाज लगाना था। बाकगुड प्रकाश
 के मापान से उपर नही थी कतः कारी का
 काड कडन हाजरी कडन पेयरी से जोरक
 छिदा जाला थी पत्रावली फेदल शुकाट सेना
 काड वालील नकलील के दाखिल दफ्तल थे।

4